रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2001/श्रावण 5, 1923
No. 516] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2001/SRAVANA 5, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

धन-कर

का. आ. 714(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 के परिशिष्ट में, प्ररूप संख्या खक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप खक

शुद्ध धन की विवरणी

[धनकर नियम, 1957 का नियम 3(1)(ख) देखिए]

व्यष्टियों/हिन्दू अविभक्त कुटुंब/कंपनियों के लिए

- कृपया संलग्न अनुदेशों का पालन कीजिए ।
- स्थायी लेखा संख्या अवश्य लिखिए
- स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग कीजिए ।

पावती

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

रसीद सं. तारीख :

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

1. स्थायी लेखा संख्या .....
(यदि आवेदन नहीं किया या आबंटित नहीं हुआ है तो प्ररूप 49क संलग्न करें)

2. नाम (अंतिम नाम/उपनाम, प्रथम नाम और मध्य नाम, इस क्रम में लिखें)

3. संसूचना के लिए पता :
(क. निवास ..... या ख. कार्यालय .....)
(फ्लैट सं./द्वार/मकान सं., परिसर, मार्ग, अवस्थान/ग्राम, टाऊन/जिला, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, इस क्रम में लिखें)

पिन ———— टेलीफोन ————

फैक्स, यदि कोई है ———— 4. लिंग (पु./ स्त्री) —

5. जन्म की तारीख ---------- 6. प्रास्थिति*----
(दिन-मास-वर्ष)

7. क्या पते में कोई परिवर्तन है ? हां ..... नहीं .....
यदि हां तो किसमें क. निवास ... या ख. कार्यालय .....

8. वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज .....

9. यदि अधिकारिता में परिवर्तन हैं तो पुराना वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज लिखिए
.....

10. मूल्यांकन तारीख .....
.....

11. निर्धारण वर्ष ..... 12. आवासीय प्रास्थिति* .....

13. क्या विवरणी मूल है ..... या पुनरीक्षित ..... ?
धारा 14/15/17 ..... के अधीन

14. यदि पुनरीक्षित है, तो रसीद सं. ..... और मूल विवरणी दाखिल करने की तारीख .....

15. क्या यह आपकी पहली विवरणी है ? हां ..... नहीं .....

16. क्या आप आय-कर निर्धारिती हैं ? हां ..... नहीं .....

शुद्ध धन और कर का विवरण (रूपयों में)

शुद्ध धन का वियरण

17. जंगम संपत्ति का संकलित मूल्य (मद सं. 28.1ङ)	112	
18. स्थावर संपत्ति का संकलित मूल्य (मद सं. 28.2घ)	113	
19. अन्य व्यक्तियों का संकलित किए जाने योग्य शुद्ध धन (मद सं. 28.3ङ)	114	
20. फर्म/व्यक्तियों के संगम में भागीदार/सदस्य के रूप में धृत आस्तियों में हितों का संकलित मूल्य (मद सं. 28.4घ)	115	
21. शुद्ध धन (सौ रूपयों के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करें) (17+18+19+20)	116	

शब्दों में

* अनुदेशों में वर्णित के अनुसार कोड भरें ।

कर का विवरण

22. शुद्ध धन पर कर 118

23. जोड़िए : विवरणी के विलंब से दाखिल करने पर ब्याज 119

24. संदेय कुल कर और ब्याज (22 + 23) 135

25. घटाइए पूर्वदत्त कर और ब्याज (चालान संलग्न करें)

	तारीख	बैंक और शाखा का नाम	शाखा कोड	रकम (रूपयों में)
I				
II				
III				
योग				137

26. संदेय अतिशेष कर और ब्याज (24 - 25) 149

27. शोध्य प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो 151

शुद्ध धन की संगणना, इसमें निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित किए जाने योग्य अन्य व्यक्तियों का शुद्ध धन सम्मिलित है

धन कर अधिनियम की धारा 2(डक) में यथापरिभाषित आस्तियों का मूल्य

(जहां आवश्यक हो, पृथक पत्रक संलग्न करें और सुसगत स्तभो मे संकलित अंको का उल्लेख करें)

28.1 जंगम संपत्ति

वर्णन	पता	अनुसूची III के अनुसार मूल्य	आस्ति से संबंधित देय ऋण	शुद्ध रकम [(ग) - (घ)]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
भवन धारा 2(डक)(i)				
शहरी भूमि धारा 2(डक)(v)				
योग				154

28.2 स्थावर संपत्ति

वर्णन	अनुसूची III के अनुसार मूल्य	आस्ति से संबंधित देय ऋण	शुद्ध रकम [(ख) - (ग)]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i) मोटर कारें धारा 2(डक)(ii)			
(ii) आभूषण आदि धारा 2(डक)(iii)			
(iii) याट (नौका) आदि धारा 2(डक)(iv)			
(iv) हाथ में रोकड़ धारा 2(डक)(vi)			
योग			155

28.3 अन्य व्यक्तियों का सम्मिलित किया जाने योग्य शुद्ध धन

अन्य व्यक्ति का नाम	संबंध	सभी आस्तियो का संकलित मूल्य	ऐसी आस्तियो से संबंधित देय ऋण	शुद्ध रकम [(ग) - (घ)]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
योग				156

28.4 फर्म/व्यष्टियों के संगम में भागीदार/सदस्य के रूप में धृत आस्तियों के हित

फर्म(फर्मों)/व्यष्टि(यों) के संगम का(के) नाम और पता(पते)	अन्य भागीदारों/सदस्यों का नाम	निर्धारिती का लाभ विभाजन का अनुपात (%)	फर्म/व्यष्टियों के संगम में अनुसूची III के अनुसार निर्धारिती के हित का मूल्य	आस्तियों से संबंधित देय ऋण	शुद्ध रकम [(घ) - (ङ)]
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
(i)					
(ii)					
योग					157

29. छूट प्राप्त दावा की गई आस्तियां :

आस्ति का वर्णन	मूल्य	आस्तियो से संबंधित देय ऋण	दावे के लिए कारण

31. संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की संख्या

विवरण	अको मे	शब्दो मे

सत्यापन*

मैं, ... (स्पष्ट अक्षरो मे पूरा नाम), पुत्र/पुत्री श्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस विवरणी और इसके साथ लगे संलग्नकों और विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित शुद्ध धन और अन्य विशिष्टियां सत्यकथित है और धन कर अधिनियम, 1957 के उपबंधो के अनुसार है और धन कर अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन तारीख ..... को ..... निर्धारण वर्ष के लिए धन कर से प्रभार्य है ।

मै यह और घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं यह विवरणी ..... की हैसियत (कंपनी/हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में पदनाम) से दाखिल कर रहा/कर रही हूं और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसको सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

तारीख ....

स्थान..... निर्धारिती के हस्ताक्षर ".

* सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी हर प्रकार से सही और पूर्ण है । इस विवरणी में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 35घ के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दंडणीय होगा :-

(i) यदि अपवंचन किया जाने वाला कर एक लाख रूपए से अधिक है तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि छह मास से अन्यून नही होगी किंतु सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से ;

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो तीन मास से अन्यून नहीं होगा किंतु जो सीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से ।

[अधिसूचना सं. 220/2001/फा. सं. 142/4/2001-टी.पी.एल.]

बत्सला झा यादव, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का. आ. 3384 तारीख 18-10-1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं का. आ. 11365, तारीख 11-5-2000 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

WEALTH-TAX

S.O. 714(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:-

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (1st Amendment) Rules, 2001.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957, in the Appendix, for FORM BA, the following shall be substituted, namely:-

"FORM BA

RETURN OF NET WEALTH

[see rule 3(1)(B) of Wealth-tax Rules, 1957]

FOR INDIVIDUALS/HINDU UNDIVIDED FAMILIES/COMPANIES

- PLEASE FOLLOW ENCLOSED INSTRUCTIONS
- PAN MUST BE QUOTED. ▪ USE BLOCK LETTERS ONLY.

ACKNOWLEDGEMENT
For Office use only
Receipt No. Date

Seal and Signature of Receiving Official

1. PERMANENT ACCOUNT NUMBER
(If not applied for or not allotted, enclose Form 49A)

2. NAME (Last name/Surname, First name, Middle name, in that order)

3. ADDRESS FOR COMMUNICATION
(A. RESIDENCE ☐ or B. OFFICE ☐)
(Flat No/Door/House No., Premises, Road, Locality/Village, Town/District, State/Union Territory, in that order)

PIN Telephone

Fax, if any 4. Sex (M/F)

5. Date of Birth (DD-MM-YYYY) 6. Status*

7. Is there any change in Address ? Yes ☐ No ☐
If yes, whether A. Residence ☐ or B. Office ☐

8. Ward / Circle / Speciall Range

9. If there is change in jurisdiction, state old Ward/Circle/Special Range

10. Valuation date

11. Assessment Year 12. Residential Status*

13. Whether Original ☐ or Revised ☐ Return?
u/s14/15/17

14. If revised, Receipt No. and
date of filing original Return

15 Is this your first Return ? Yes ☐ No ☐

16. Are you assessed to Income Tax ? Yes ☐ No ☐

STATEMENT OF NET WEALTH AND TAX (in Rs)

STATEMENT OF NET WEALTH

17. Aggregate value of immovable property (item 28.1e) 112
18. Aggregate value of movable property (item 28.2d) 113
19. Includible net wealth of other persons (item 28.3e) 114
20. Aggregate value of interest in assets held in a Firm/AOP as partner/member (item 28.4f) 115
21. **NET WEALTH** (As Rounded off to nearest multiple of hundred rupees)(17+18+19+20) 116

in words

STATEMENT OF TAX

22. Tax on net wealth 117
23. Add: interest on late filing of return 118
24. TOTAL TAX AND INTEREST PAYABLE (22+23) 135
25. Less prepaid tax and interest (Attach Challans)

	Date	Name of Bank and Branch	Branch Code	Amount (Rs.)
I				
II				
III				
Total				137

26. Balance tax and interest payable (24-25) 138
27. Amount of refund due, if any 151

Fill in code as mentioned in instructions

COMPUTATION OF NET WEALTH INCLUDING NET WEALTH OF OTHER PERSON(S) INCLUDIBLE IN ASSESSEE'S NET WEALTH

VALUE OF ASSETS AS DEFINED U/S 2 (ea) OF THE WEALTH TAX ACT
(Attach separate sheet(s) wherever necessary and mention aggregate figures in relevant columns)

28.1 IMMOVABLE PROPERTY

DESCRIPTION	ADDRESS	VALUE AS PER SCHEDULE III	DEBTS OWED IN RELATION TO THE ASSET	NET AMOUNT [(c)-(d)]
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Building(s) S. 2(ea)(i)				
Urban Land S. 2(ea)(v)				
Total				154

28.2 MOVABLE PROPERTY

DESCRIPTION	VALUE AS PER SCHEDULE III	DEBTS OWED IN RELATION TO THE ASSET	NET AMOUNT [(b)-(c)]
(a)	(b)	(c)	(d)
(I) Motor cars S. 2(ea)(ii)			
(II) Jewellery etc. S. 2(ea)(iii)			
(III) Yachts, etc. S. 2(ea)(iv)			
(iv) Cash in hand S. 2(ea)(vi)			
Total			155

28.3 INCLUDIBLE NET WEALTH OF OTHER PERSONS

NAME OF OTHER PERSON	RELATIONSHIP	AGGREGATE VALUE OF ALL ASSETS	DEBTS OWED IN RELATION TO SUCH ASSETS	NET AMOUNT [(c)-(d)]
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Total				156

28.4 INTEREST HELD IN THE ASSETS OF A FIRM OR ASSOCIATION OF PERSONS (AOP) AS A PARTNER OR MEMBER THEREOF :

NAME(S) AND ADDRESS(ES) OF FIRM(S) /AOP(S)	NAME(S) OF OTHER PARTNERS/ MEMBERS	ASSESSEE'S PROFIT SHARING RATIO (%)	VALUE OF THE ASSESSEE'S INTEREST IN THE ASSETS OF FIRM/ AOP AS PER SCHEDULE III	DEBTS OWED IN RELATION TO SUCH INTEREST	NET AMOUNT [(d)-(e)]
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
(i)					
(ii)					
Total					157

ASSETS CLAIMED EXEMPT :

Description of Asset	Value	Debt owed in relation to the Asset	Reasons for the claim

31. LIST OF DOCUMENTS/STATEMENTS ATTACHED

Description	In Figures	In words

VERIFICATION*

I.. ....(Name in full and in BLOCK letters) son/daughter of ....solemnly declare that, to the best of my knowledge and belief, the information given in this return and the annexures and statements accompanying it is correct and complete, and that the net wealth and other particulars shown therein are truly stated and in accordance with the provisions of the Wealth-tax Act, 1957, in respect of net wealth as on the valuation date......................... chargeable to wealth-tax for the assessment year.. ... ...

I further declare that I am making this return in my capacity as ....(designation in case of Company / Hindu undivided family) and that I am competent to make this return and verify it.

Date : ....

Place : ....

Signature

*** Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return is correct and complete in every respect.**

Any person making a false statement in this return shall be liable to prosecution under sectio 35D of the Wealth-tax Act, 1957, and on conviction be punishable: -

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seve years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

[Notificaion No. 220/2001/F. No. 142/4/2001-TPL]

BATSALA JHA YADAV, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S. O 3384 dated 18-10-1957 and were last amended vide notification number S. O. 11365 dated 11-5-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054